न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रींगस, जिला सीकर।

पीठासीन अधिकारी- ममता रोहिला, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण सीआईएस सं.- 112/2019

परिवादकर्ता का नाम	कालूसिंह पुत्र चन्दाराम निवासी ढाणी बार्डर वाली तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
अभियुक्त का नाम एवं पता	जगदीशप्रसाद पुत्र घासीराम निवासी वार्ड नम्बर 11 पत्थर मण्डी के पास रींगस जिला सीकर।
अपराध अन्तर्गत धारा	138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881
अभियुक्त का कथन	आरोप अस्वीकार, अन्वीक्षा चाही
परिवाद संस्थित करने की दिनांक	16.02.2019
अभियोजन साक्षी	पी ड 1 जगदीशप्रसाद
परिवादी दस्तावेज	मूल चैक प्रदर्श 1, रिटर्न मेमो प्रदर्श 2, विधिक नोटिस प्रदर्श 3, डाक रसीद प्रदर्श 4, असल लिफाफा मय एडी प्रदर्श 5
अभियुक्त साक्षी	कोई नहीं
निर्णय रिजर्व करने की दिनांक	09.04.2026
निर्णय दिनांक	09.04.2026
अन्तिम निर्णय	09.04.2026
परिवादी अधिवक्ता	श्री मोहनलाल बलौदा
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री रघुनाथसिंह शेखावत

-- नि र्ण य -- दि नां क-09.04.2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी द्वारा परिवाद धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया कि मुलजिम व परिवादी के मध्य अच्छी जान पहचान होने से परिवादी से अभियुक्त ने एक लाख रूपये उधार लिये जिसकी अदायगी हेतु परिवादी को अभियुक्त द्वारा चैक संख्या 073352 राशि 1,00,000

रूपये दिनांक 30.10.2018 का दिया। अभियुक्त ने परिवादी को कहा कि उक्त चैक से भुगतान हो जावेगा। परिवादी ने नियत समय पर उक्त चैक को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रींगस में अपने खाते में समाशोधन हेतु लगाया तो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि का नोट लगाकर परिवादी को उक्त चैक अनादरित कर द्वारा रिटर्न मेमो के साथ दिनांक 15.01.2019 को लौटा दिया। उक्त चैक अनादरण के बाद परिवादी द्वारा मुलजिम को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 19.01.2019 को भिजवाया गया, जिसकी सूचना अभियुक्त को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अभियुक्त ने चैक वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादी ने मूल चैक, चैक रिटर्न मीमो, रजिस्टर्ड नोटिस, पावती रसीद आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

2. प्रथम दृष्टया मामला बनना पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्व परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान दिनांक 26.02.2019 को लिया गया। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर दिनांक 20.09.2022 को अभियुक्त को आरोप सारांश अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया। आरोप सारांश सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा स्वयं के बयान पी ड 1 के रूप में लेखबद्व करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 5 दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया।

4. अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दप्रसं. लेखबद्व किये गये, जिसमें अभियुक्त ने परिवादी की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झंूठा फसाया गया है और साक्ष्य सफाई पेश करना बताते हुये साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई ना ही कोई दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि परिवाद में अंकित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्व घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

6. उपरोक्त तर्कों के खण्डन में दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि परिवादी ने प्रश्नगत चैक का दुरूपयोग कर, झूंठा परिवाद प्रस्तुत किया है और अभियुक्त को झूंठा संलिप्त किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि धारा 138 लिखत परक्राम्य अधिनियम का अपराध प्रमाणित होने हेतु यह प्रमाणित होना आवश्यक होता है कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादी को किसी विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदत्त किया गया हो। उनका यह भी तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित चैक जिस समय परिवादी को दिया

जाना आक्षेपित किया गया उस दिनांक को चैक परिपक्व नहीं था। परिवादी द्वारा चैक में कूटरचना करते हुये नाम व तारीख खुद लिखी गई है। उनका यह भी तर्क रहा कि मात्र प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने के आधार पर यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि, प्रश्नगत चैक किसी विधिक अदायगी के भुगतान पेटे दिया गया हो। हस्तगत प्रकरण में जब कोई विधिक अदायगी ही नहीं है अर्थात् रूपये उधार प्राप्त किया जाना ही प्रमाणित नहीं है, तो प्रश्नगत चैक भुगतान पेटे दिये जाने का प्रश्न नहीं है और निश्चित रूप से प्रश्नगत चैक का दुरूपयोग कर दर्ज करवाया है। ऐसी स्थिति में, धारा 118 एवं 139 एन आई एक्ट की उपधारणायें युक्तियुक्त स्तर पर खंडित रहती है। अतः अभियुक्त पर अन्तर्गत धारा 138 एन आई एक्ट के आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने के कारण, अभियुक्त को सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का अनुरोध किया है।

7. उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं सुसंगत विधि का अनुशीलन एवं परिशीलन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन व उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् इस प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह उद्भुत होता है कि:-

''क्या अभियुक्त द्वारा अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन पेटे परिवादी को चैक संख्या 073352 दिनांकित 30.10.2018 राशि 1,00,000 रूपये एक्सिस बैंक शाखा रींगस का दिया, जिसको परिवादी द्वारा वैधता अवधि के दौरान भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत किया गया, परन्तु उक्त चैक अपर्याप्त निधि के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया। उक्त चैक अनादरण का विधिक नोटिस परिवादी के द्वारा अभियुक्त को दिया गया। विधिक नोटिस अभियुक्त को प्रेषित करने के उपरान्त भी चैक में वर्णित राशि का भुगतान अभियुक्त द्वारा परिवादी को नहीं किया गया। एतद्द्वारा अभियुक्त ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है। यदि हाँ तो उचित दण्ड क्या होगा ?

9. हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत व निष्कर्ष यह है कि उक्त बिन्दु को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार परिवादी पर है। हस्तगत प्रकरण में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 को साबित करने के लिए निम्न बिन्दुओं को साबित किया जाना आवश्यक है -

(1) अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक ऋण या किसी अन्य दायित्व के उन्मोचन में विवादित चैक दिया जाना।

(2) चैक का बैंक से धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के प्रावधानों के तहत अनादरित होना।

(3) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के प्रावधानों में अभियुक्त को विधिक नोटिस समुचित पते पर दिया जाना।

(4) नोटिस के पश्चात् नियत समयावधि में अभियुक्त द्वारा भुगतान करने में असफल रहना।

(5) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की समयावधि के प्रावधानों की पूर्णतः पालना होना।

10. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात का अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण में विवादित चैक प्रदर्श 1 परिवादी द्वारा मुलजिम को रूपयों की आवश्यकता होने से 1,00,000 रूपये परिवादी से नगद उधार लिए जाने व उक्त रूपयों की अदायगी हेतु परिवादी को चैक संख्या 073352 दिनांक 30.10.2018 का अपने हस्ताक्षर कर राशि 1,00,000 रूपए का दिया जाना जाहिर किया गया है जबकि अभियुक्त द्वारा अपने बयान मुलजिम तथा बहस के दौरान यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फसाया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने बयान मुलजिम में अथवा बहस के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि प्रश्नगत चैक पर उसके हस्ताक्षर ना हो। अभियुक्त द्वारा ली गई उक्त प्रतिरक्षा से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। चूंकि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। अतः अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादी को किसी विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदत्त किया गया था या नहीं, इस संबंध में धारा 118 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं -

‘‘118- जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएं की जायेगी -

(क) प्रतिफल के विषय में, यह कि हर परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गयी थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो, तब यह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गयी थी।

इस प्रकार धारा 118 एनआई एक्ट में यह उपधारणा स्पष्ट रूप से अंकित है कि हर चैक प्रतिफल के लिए लिखा जाता है।

11. इसके अतिरिक्त धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम में यह उपधारणा है कि, ‘‘जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

12. उक्त दोनों उपधारणए खण्डनीय है तथा इन्हें खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है। इन उपधारणाओं को खण्डित करने के लिए अभियुक्त को यह सिद्ध करना होता है कि विवादित चैक उसके द्वारा किसी विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रदत्त नहीं किया गया था।

13. इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत रंगप्पा बनाम श्री मोहन, 2010 सीआरएलआर (एससी)पेज 444 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है

कि धारा 139 में यह उपधारणा चैक धारक के पक्ष में होगी कि, चैक लेखीवाल ने चैक किसी विधितः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया था। इस प्रकरण में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम में धारक के पक्ष में इस उपधारणा को खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है। इस खण्डन हेतु अभियुक्त का स्वयं साक्षी कक्ष में आकर साक्ष्य देना आवश्यक नहीं है। वह परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से तथा परिवादी की प्रति परीक्षा के माध्यम से भी इसे खण्डित कर सकता है। इस उपधारणा को खण्डित करने हेतु अभियुक्त प्रकरण में ''संभावना बाहुल्यता'' (Preponderance of Probabilities) के द्वारा प्रमाणित कर सकता है। इसलिए यदि अभियुक्त ''संभाव्य प्रतिरक्षा'' (Probable defence) उत्पन्न करते हुए विधितः प्रवर्तनीय/दायित्व के सम्बंध में संदेह उत्पन्न कर दें, तो वहां अभियोजन असफल होगा।

14. यही सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत मैसर्स नारायण मेनन उर्फ मनी बनाम केरल राज्य व अन्य 2006 सीआरएलआर(एससी) में भी प्रतिपादित किया गया है।

15. उपरोक्त वर्णित विधिक स्थिति के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन करे तो अपने प्रकरण को सिद्ध करने के लिए परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में स्वयं को पी ड 1 के रूप में परीक्षित करवाया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में मूल चैक प्रदर्श 1, रिटर्न मेमो प्रदर्श 2, विधिक नोटिस प्रदर्शपी 3, डाक रसीद प्रदर्श 4, असल लिफाफा व मय एडी प्रदर्श 5 को प्रदर्शित करवाया गया है। परिवादी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा हेतु पेश शपथ पत्र में मुख्य रूप से परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए अभियुक्त द्वारा रूपयों की आवश्यकता होने से रूपये उधार लिये जाने व रूपयों की अदायगी पेटे परिवादी को 1,00,000 रूपये का चैक संख्या 073352 दिनांक 30.10.2018 प्रदत्त किये जाने तथा उक्त चैक को बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक अपर्याप्त निधि के रिमार्क से बैंक से अनादरित होने का कथन किया गया है। परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा विधिक नोटिस की जानकारी होने के पश्चात् भी उसे चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

16. इस प्रकार परिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में परिवाद में वर्णित तथ्यों की ताईद की गई है। हस्तगत प्रकरण में परिवादी के पक्ष में जो उपधारणाएं विद्यमान हैं उनके खण्डन का भार अभियुक्त पर है। अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा तीन माध्यमों से न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है -

1. अभियोजन गवाहान से प्रति परीक्षण के द्वारा,
2. धारा 313 दप्रसं. के तहत परीक्षण के दौरान व

3. गवाह के रूप में स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने पक्ष में अन्य किसी गवाह को साक्ष्य प्रतिरक्षा में पेश कर।

17. अभियुक्त द्वारा उक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 में अंकित माध्यम को ही अपनी प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु चुना गया है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी से विस्तृत प्रति परीक्षण किया गया है जिसमें परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि उसने परिवाद में वर्णित रूपये एक साल के लिये उधार लेने का अंकन करवाया था। चैक रूपये उधार लेते समय उसे नहीं दिया, बाद में उसने जगदीशप्रसाद से पैसे मांगे तब चैक दिया था। जगदीश ने उसे चैक अकेले में ही दिया था स्वयं ने कहा कि उसका भाई कैलाश उस समय उनके साथ मौजूद था। चैक में पैसे, तारीख व रूपये का अंकन जगदीशप्रसाद ने करके ही दिया था। उसने चैक दिनांक 30.10.2018 के दो चार दिन बाद बैंक में लगाया था। चैक को बैंक में लगाने से पहले उसने जगदीशप्रसाद को सूचना मौखिक रूप से दी थी। चैक बाउन्स के बाद उसने जगदीश को नोटिस दिलाया था। जगदीश सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत था, उसकी तनख्वाह कितनी थी उसे ध्यान नहीं है। इस तथ्य को गलत बताया कि उसने जगदीश को सोसायटी में राशि जमा करवाने के लिये रूपये दिये हो। यह स्वीकार किया कि परिवाद व नोटिस में यदि जगदीश के पिता का नाम व पता अंकित किया है तो वह वकील साहब ने ही किया होगा। प्रदर्श 5 जो उसके अधिवक्ता व जगदीश को नोटिस दिया वो है। यह स्वीकार किया कि प्रदर्श 5 पर डाकिये द्वारा प्राप्तकर्ता बिना पते के बाहर गया का विवारण लिखा हुआ है। यह स्वीकार किया कि जगदीश को नोटिस मिला या नहीं इस बात की उसे जानकारी नहीं है। जगदीश ने उसे चैक दिया तब यह कहा था कि खाते में पैसे है चैक लगाकर पैसे निकलवा लेना। प्रदर्श 1 में खाता संख्या उसके सामने जगदीश ने ही लिखे थे तथा तारीख 30.10.2018 व नाम कालूसिंह व राशि एक लाख रूपये व हस्ताक्षर एक ही पैन से उसके सामने जगदीश ने लिखे थे। उसने प्रदर्श 1 में कुछ भी नहीं लिखा।

18. इस प्रकार अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी से विस्तृत प्रति परीक्षण किया गया है परन्तु अपने प्रति परीक्षण में परिवादी परिवाद व मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों पर स्थिर रहा है तथा परिवादी की साक्ष्य में ऐसा कोई गंभीर विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है जिससे उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों पर संदेह उत्पन्न होता हो। परिवादी के उक्त कथनों को अभियुक्त द्वारा अपने बयान मुलजिम में गलत होना बताया तथा उसके खिलाफ झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना जाहिर किया गया है।

19. इसके अतिरिक्त अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा मुख्य रूप से परिवादी से किए गए प्रति परीक्षण व बयान मुलजिम में किये गये कथनों के माध्यम से ही अपनी प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष रखी गई है।

20. परिवादी के प्रतिपरीक्षा में जैसा कि उपर विवेचन किया गया है, किसी प्रकार का तात्विक विरोधाभास दर्शित नहीं हुआ है जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक परिवादी को किसी विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु नहीं दिया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने बयान मुलजिम में यह कथन किया गया है कि उसे झूंठा फंसाते हुये झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अभियुक्त के पास यह अवसर प्राप्त था कि वह स्वयं साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त तथ्य बाबत् कथन करता, जिससे परिवादी पक्ष को भी अभियुक्त से प्रतिपरीक्षा का अवसर प्राप्त होता, परन्तु अभियुक्त द्वारा स्वयं की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

21. अधिवक्ता अभियुक्त का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा चैक की कूटरचना कर अभियुक्त के विरूद्ध झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय के विनम्र मत में धारा 118 व धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवादी के पक्ष में जो उपधारणा विधमान है इसमें खण्डन का भार अभियुक्त पर होता है परन्तु अभियुक्त द्वारा कथित रूप से कूटरचित चैक के सम्बन्ध में परिवादी के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही पुलिस थाने अथवा न्यायालय में संस्थित की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं की गई है ना ही ऐसा कोई कथन अपने परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। अभियुक्त द्वारा परिवादी द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस का कोई जवाब पेश कर भी इस प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई गई है कि परिवादी द्वारा उसके चैक का दुरूपयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र बहस के दौरान किये गये कथन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि परिवादी द्वारा विवादित चैक की कूटरचना कर उसका दुरूपयोग किया गया हो, जबकि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक पर अपने हस्ताक्षर होने के कथन को आक्षेपित नहीं किया गया है।

22. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि विवादित चैक पर अभियुक्त के सिर्फ हस्ताक्षर हैं तथा शेष इबारत स्वयं परिवादी द्वारा भरी गई हैं। इस संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि लेखीवाल चैक पर अपने हस्ताक्षर करता है तो धारक को शेष प्रविष्टि भरने का अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय रंगपा बनाम श्री मोहन 2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एससी) पेज 444 में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां चैक पर हस्ताक्षर व जारी करना स्वीकृत है वहां चैक गृहिता के पक्ष में विधितः प्रवर्तनीय ऋण होने की उपधारणा की जायेगी। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त भाष्करन बनाम शंकरण व अन्य 1999 (3) सीसीसी पेज 385 (एससी) में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां चैक पर हस्ताक्षर स्वीकृत हों वहां विधितः माना जायेगा कि चैक किसी प्रतिफल के लिये जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में भी चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होकर परिवादी को प्रदत्त किया जाना प्रमाणित हुआ है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त

द्वारा परिवादी के पक्ष में अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु विवादित चैक दिये जाने की उपधारणा की जायेगी। यदि अभियुक्त यह आपत्ति लेता है कि उसके द्वारा उक्त चैक विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु नहीं दिया गया था तो उक्त उपधारणा खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त उक्त उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त पर जो विधिक दायित्व के अस्तित्व में नहीं होने को सिद्ध करने का भार है वह किसी भी प्रकार से उन्मोचित होकर अभियुक्त से परिवादी पर आ गया हो। न्यायालय इस बात से पूर्णतः सहमत है कि अभियुक्त को मात्र संभावनाओं के अनुमान के द्वारा ही प्रतिफल अथवा ऋण के अस्तित्व में नहीं होने को सिद्ध करना है लेकिन हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त इसमें पूर्ण रूप से असफल रहा है। अभियुक्त द्वारा किसी भी सुदृढ मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से उपरोक्त उपधारणा को खण्डित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त उपधारणाएं पूर्ण रूप से अखण्डित रही हैं।

23. अभियुक्त को परिवादी के पक्ष में की गई उपधारणा का खण्डन अपनी साक्ष्य द्वारा करना था परन्तु अभियुक्त ने किसी ठोस मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से उक्त उपधारणा का खण्डन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में परिवादी के पक्ष में विद्यमान उपधारणाएं पूर्ण रूप से अखण्डित रही हैं। सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्त 2002 सीआरएलआर (राज) 1292 सुबेदार सुमेरसिंह बनाम अमीन इन्टरप्राईजेज में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियुक्त के हस्ताक्षर विवादित चैक पर होना स्वीकृत है तो यह सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है कि विवादित चैक किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन पेटे जारी नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर विवादित चैक पर होना स्वीकार किया है। अतः धारा 118 व 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणाएं अखण्डित रहती हैं। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा चैक नम्बर 073352 प्रदर्श 1 दिनांकित 30.10.2018 राशि 1,00,000 रूपये पर अपने हस्ताक्षर कर भुगतान हेतु परिवादी को दिया गया, परिवादी द्वारा उक्त चैक जमा पर्ची के माध्यम से बैंक में प्रस्तुत किया गया जो बैंक द्वारा जरिये मीमो प्रदर्श 2 के द्वारा अपर्याप्त निधि के रिमार्क के साथ अनादरित कर लौटा दिया गया। उक्त चैक अनादरण की सूचना परिवादी द्वारा विधिक नोटिस प्रदर्श 3 के माध्यम से अभियुक्त को दी गई परन्तु अभियुक्त को उक्त नोटिस की सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात भी परिवादी को चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया गया जिस पर परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम में वर्णित समयावधि में हस्तगत परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत व प्रदर्शित दस्तावेजात से परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम में वर्णित समयावधि का पूर्ण रूप से पालन किया जाना प्रकट होता है।

24. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी की साक्ष्य पूर्ण रूप से अखण्डित रही हैं तथा अभियुक्त परिवादी के पक्ष में विद्यमान उपधारणाओं का खण्डन करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। उपरोक्त विवेचनानुसार परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित किया गया है। अतः प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री व सम्माननीय न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में अभियुक्त अपराध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

25. अतः अभियुक्त जगदीशप्रसाद पुत्र घासीराम निवासी वार्ड नम्बर 11 पत्थर मण्डी के पास रींगस जिला सीकर को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है एवं अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता हैं।

(ममता रोहिला)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर

सजा के बिन्दु पर सुना गया-

26. अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा वह लम्बी अवधि से अंवीक्षा भुगत रहा है। अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाये जाने का निवेदन किया।

27. अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का विरोध कर कथन किया कि अभियुक्त द्वारा उसे जानबूझकर आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई गई है व रूपयों की अदायगी नहीं की गयी है। इसलिए अभियुक्त को समुचित दण्ड से दण्डित किया जावे तथा चैक की दुगनी राशि परिवादी को दिलवाई जावे।

28. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

29. न्यायालय के विनम्र मतानुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अपराध आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते है। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषी पाया गया है। अभियुक्त के इस कृत्य से परिवादी को मानसिक पीड़ा के अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से भी क्षति कारित हुई है। वर्तमान में इस प्रकृति के अपराधों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। यदि अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया गया तो

निश्चित रूप से समाज में गलत संदेश जायेगा तथा लोगों का बैंकिंग प्रणाली एवं चैक के द्वारा संव्यवहार करने की व्यवस्था से विश्वास उठेगा।

30. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अभियुक्त के आचरण को मध्यनजर रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित व युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

दण्डादेश

31. अतः अभियुक्त जगदीशप्रसाद पुत्र घासीराम निवासी वार्ड नम्बर 11 पत्थर मण्डी के पास रींगस जिला सीकर को दोषसिद्व अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में 03 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है, साथ ही अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि वह धारा 357(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 1,42,000/- रूपये अक्षरे एक लाख बयालीस हजार रूपये बतौर क्षतिपूर्ति परिवादी को अदा करे। उक्त राशि न्यायालय में जमा होने पर बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार परिवादी को अदा की जावे। उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदा नहीं की जाने पर अभियुक्त 15 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उपरोक्त सजा में समायोजित की जाये।

32. अभियुक्त को धारा 437 ए दं.प्र.सं. के तहत 06 माह की अवधि के 25-25 हजार रूपए की राशि के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिए जाते हैं।

33. अभियुक्त का सजा वारण्ट नियमानुसार बनाया जावे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दिलवाई जावे।

(ममता रोहिला)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर

34. निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(ममता रोहिला)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रींगस जिला सीकर